न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/362

1. मथुरा लाल आत्मज स्व0 श्री कृष्ण जी ।
2. मोती लाल आत्मज स्व0 श्री कृष्ण जी ।
3. औंकार आत्मज स्व0 श्री कृष्ण जी ।
4. गोपी लाल आत्मज स्व0 श्री कृष्ण जी जाति लश्करी निवासीगण नयागॉव किशनपुरा तकिया, कोटा ।
5. कैलाश पुत्री स्व0 श्री कृष्ण जी पत्नी किशोर जी जाति लश्करी निवासी नयानोहरा, कोटा।
6. अयोध्या बाई पुत्री स्व0 श्रीकृष्ण जी पत्नी कैलाश जी जाति लश्करी निवासी खेडली फाटक कोटा ।
7. जयन्ती बाई पुत्री स्व0 श्रीकृष्ण जी पत्नी लटूरलाल जाति लश्करी निवासी लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. हरल्या आत्मज नारायण जी जाति लश्करी निवासी नयागॉव किशनपुरा तकिया, कोटा।
9. रामरतन आत्मज बिहारी लाल जाति लश्करी ।
10. मनोहर आत्मज बिहारी लाल जाति लश्करी ।
11. कल्याणी बाई पुत्री बिहारी लाल पत्नी बाल चन्द जाति लश्करी निवासी नयागॉव किशनपुरा तकिया, कोटा ।
12. गिर्राज बाई पुत्री बिहारी लाल जी पत्नी अनिल जी जाति लश्करी निवासी पुरोहित जी की टापरी के पास तहसील लाडपुरा कोटा ।
13. धन्नी बाई बेवा बिहारी लाल जी जाति लश्करी निवासी नयागॉव किशनपुरा तकिया, कोटा।

---अपीलान्ट

बनाम

1. हुकम चन्द आत्मज कान्हा जी ।
2. हीरालाल आत्मज कान्हा जी ।
3. हजारी लाल आत्मज कान्हा जी जाति लश्करी निवासी नयागॉव किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. जमना बाई पुत्री कान्हा जी ।
5. ग्यारसी बाई पुत्री कान्हा जी ।
6. आनन्दी बाई पुत्री कान्हा जी ।
7. सुगना बाई पुत्री कान्हा जी ।
8. रानी बाई पुत्री कान्हा जी ।
9. राधा बाई पुत्री कान्हा जी जाति लश्करी निवासी नयागॉव किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
10. धनपाल आत्मज छीतर लाल ।
11. रमेश चन्द आत्मज छीतर लाल ।

12. सत्यनारायण आत्मज छीतर लाल जाति मालव धाकड निवासी भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. प्रेमचन्द आत्मज छीतर लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    13/1. श्रीमती कमलेश पत्नी प्रेमचन्द ।
    13/2. प्रियंका पत्नी प्रेमचन्द
    13/3. अंजली पुत्री प्रेम चन्द ।
    13/4. दिलभरता पुत्री प्रेचन्द ।
    13/5. ज्योति पुत्री प्रेम चन्द ।
    13/6. श्यामा पुत्री प्रेमचन्द ।
    13/7. लक्ष्मी पुत्री प्रेमचन्द ।
    13/8. दिव्यांशु पुत्री प्रेमचन्द नाबालिगान जरिये वली माता कमलेश पत्नी स्व0 प्रेमचन्द जाति मालव धाकड निवासीगण ग्राम भदाना ।
14. लालचन्द आत्मज श्रवण लाल ।
15. हीरा लाल आत्मज श्रवण लाल ।
16. चौथमल आत्मज श्रवण लाल ।
17. मुकुट बिहारी आत्मज श्रवण लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    17/1. कपिल पुत्र मुकुट बिहारी ।
    17/2. अमिल पुत्र मुकुट बिहारी ।
    17/3. लक्ष्मी पुत्री मुकुट बिहारी ।
    17/4. रेखा पुत्री मुकुट बिहारी ।
    17/5. अनिता बाई पत्नी मुकुट बिहारी जाति लोधा निवासीगण ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
18. राजेश कुमार आत्मज लटूर लाल जाति खटीक निवासी ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 की ओर से ।
3. श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट 14, 16, 17/1 से 17/5, 10, 11, 12 एवं 13/1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 08.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 9 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 580 की 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 594 की 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 652 रकबा 2.07 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 653 की 0.60 हैक्टर कुल 04 किता की 5.3 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण का 1/15 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/10, प्रतिवादी क्रम 2 का 1/10, सत्यनारायण का 1/10, प्रेमचन्द का 1/10, लालचन्द व हीरालाल का 1/6, राजेश कुमार का 1/10 धन्नी बाई का 1/10 हिस्सा दर्ज है । पक्षकारान नाथ्या वल्द भागा व नारायण पांच्या के खातेदारी की भूमि थी । उक्त खातेदारान की भूमि ग्राम भदाना एवं किशनपुरा तकिया में थी । नारायण व पांच्या के वारिसान एवं नाथ्या के वारिसान के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवारा हो गया और मौखिक बंटवारे में ग्राम किशनपुरा तकिया की भूमि नाथ्या आत्मज भाग के वारिसान के हिस्से में आई तथा इसके बदले नारायण व पांच्या के वारिसान को ग्राम भदाना की अधिक भूमि दे दी गई । प्रतिवादीगण क्रम 11 से 25 ने केवल मात्र किशनपुरा तकिया की भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है जबकि भदाना की वह अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि से अधिक विक्रय कर चुके हैं । इस कारण प्रतिवादी क्रम 11 से 25 का ग्राम भदाना की भूमि में नाम नहीं है । प्रतिवादीगण ग्राम किशनपुरा तकिया की भूमि में अपना नाम होने के आधार पर उक्त भूमि को विक्रय करने के प्रयास में है ।

3. अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम भदाना की नारायण व पांच्या के वारिसान द्वारा जो अधिक भूमि विक्रय की गई है वह वादीगण के विरूद्ध बेअसर घोषित की जावे तथा आखरी में जो भूमि चौथमल व मुकुटबिहारी पि0 श्रवण लाल जाति लोधा को दिनांक 08.07.99 को विक्रय की गई है तथा हरल्या आत्मज नारायण द्वारा बालचन्द लोधा व हीरालाल को दिनांक 08.07.99 को विक्रय की गई है उसे वादीगण के विरूद्ध बेअसर घोषित किया जावे तथा पुनः विधि सम्मत विभाजन किया जावे । विकल्प में ग्राम किशनपुरा तकिया की भूमि का केवल मात्र वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी ग्राम भदाना एवं किशनपुरा तकिया की भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे और न उसे भारयुक्त ही करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2018 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 12 लगायत 25 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपना निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री पूर्णतया एक तरफा है केवल वाद के आधार पर ही दावा डिक्री कर दिया । वादीगण ने तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और न ही कोई गवाहान प्रस्तुत किये तथा वादीगण स्वयं भी नहीं बता पाये कि कब–किसने पारिवारिक बंटवांरा किया । अधीनस्थ न्यायालय ने आपसी बंटवारा मानकर अपीलान्ट का नाम ग्राम किशनपुरा तकिया की वादग्रस्त आराजी से हटाकर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज

करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने उक्त प्रार्थना का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये हैं उनमें न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा में चले प्रकरण संख्या 38/1989 के आदेश संचिका की प्रमाणित प्रति, निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.1990 मुकदमा नम्बर 38/1989 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा की प्रमाणित प्रति, सत्य प्रतिलिपि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.06.1996, सत्यप्रतिलिपि जवाबदावा न्यायालय साहयक कलक्टर, कोटा, सत्यप्रतिलिपि इंतकाल नम्बर 08 दिनांक 23.03.1966, सत्यप्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1995, सत्यप्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2000, सत्य प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 03.02.2014 पेश किये हैं । उक्त दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड अथवा राजकीय रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉं हैं जिनकी विश्वनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता व प्रकरण में प्रासांगिक हैं । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण का दावा बाबत् विभाजन घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री करने में त्रुटि की है । अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है । केवल दावे के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। वादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है न ही गवाहान प्रस्तुत किये हैं । न्यायालय ने आपसी बंटवारा मानकर अपीलान्ट का नाम किशनपुरा तकिया की वादग्रस्त आराजी से वादीगण का नाम हटाकर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज करने का निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो कानूनन तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अपीलाधीन निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित कर दिया कि पारिवारिक बंटवारा साबित है । पारिवारिक बंटवारा कब किया गया किसने किया कुछ भी अंकित नहीं है । साक्ष्य लिये बिना प्रतिवादी को जवाबदेही का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी भागा के खाते की थी । भागा के 02 पुत्र हुए नाथ्या एवं रोडू। कान्हा नारायण का पुत्र है । पांच्या का सुलभी पुत्र नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का दावा स्वीकार किया है । वादीगण ने यह कथन किया है कि ग्राम किशनपुरा तकिया की भूमि वादी जो कि कान्हा के वारिस हैं उनके कब्जे में है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है और प्रतिवादीगण भदाना में अपने हिस्से से अधिक का बेचान कर चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के दावे को डिक्री किया है । जबकि यदि प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से से अधिक आराजी का विक्रय किया हे तो वह विक्रय पत्र उनके हिस्से तक ही वैध माना जावेगा, शेष आराजी के लिए नल एण्ड वॉईड होगा । अपीलान्टगण का ग्राम किशनपुरा तकिया की

आराजी में 1/2 हिस्सा निहित है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता । पूर्व में एक दावा पक्षकारान के मध्य चला था जो वादीगण के पिता कान्हा ने विभाजन के लिए पेश किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 02.06.1990 को डिक्री किया गया था इसमें दोनों गॉवों की आराजी में 1/2 – 1/2 हिस्सा तय किया गया था । प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी और अंतिम डिक्री जारी करने हेतु तहसीलदार से रिपोर्ट भी प्राप्त की गई थी । इसके उपरान्त यह दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया । उस दावे में चूँकि प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी है और वो किसी भी न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वादीगण जो कि कान्हा के ही वारिस हैं उन्हें नया दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि कान्हा, नारायण का पुत्र है । नाथ्या का सुलभी पुत्र नहीं है । इन तथ्यों को हुकम चन्द एवं हीरालाल ने अपने बयानों में स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण ने अपने हिस्से से अधिक आराजी का विक्रय नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय सीपीसी की पालना में पारित नहीं किया है । न तो दस्तावेजात का विवेचन किया है न ही साक्ष्य की विवेचना की है न तो दावे एवं जवाबदावे के तथ्यों को अंकित किया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निग्रय त्रुटिपूर्ण है एंव खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्टगण ने एक अपील संख्या 18/535 इस न्यायालय में पेश की थी और इसे नोट प्रेस में खारिज करवा लिया । यह अपील उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2018 के खिलाफ पेश की है जिसे उनके द्वारा नोट प्रेस में खारिज करवा लिया है । पारिवारिक समझौते के मुताबिक ग्राम भदाना में अपीलान्टगण ने अपने हिस्से से अधिक आराजी का विक्रय किया था । इस कारण किशनपुरा तकिया की आराजी में अब उनका कोई हिस्सा शेष नहीं है जो मौखिक बंटवारा हुआ है उसे पक्षकारों ने स्वीकार किया है और यह एक्टअपोन भी हो चुका है । आराजी का पक्षकारों ने मौखिक बंटवारे के अनुसार विक्रय कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त प्रक्रियाओं की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है । ग्राम भदाना की आराजी का बेचान किया जा चुका है । विक्रय पत्र बंटवारे के अनुरूप ही निष्पादित किया गया है । आराजी क्रेतागण क्रे खाते में दर्ज हो चुकी है । ऐसी स्थिति में ग्राम किशनपुरा की आराजी में अपीलान्टगण का कोई हित – निहित नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2018 बहाल रखा जावे ।

11. विद्धात अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 10, 11, 12 एंव 13/1, 14, 16, 17/1 से 17/5 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी का मौखिक बंटवारा पक्षकारों के मध्य हो गया था। पूर्व का दावा जिसकी अपीलान्टगण ने नकल पेश की है वो सन् 1990 में डिक्री हुआ था । रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है वो उसके बाद सन् 1999 का है । दिनांक 13.06.2000 के विक्रय पत्र प्रदर्श– ए–1 के अनुसार कान्हा ने भी आराजी विक्रय की है जिससे यह प्रमाणित है कि पारिवारिक बंटवारा एक्ट अपोन हो गया था । हुकम चन्द ने जिरह में पारिवारिक बंटवारे को स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील -अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2018 बहाल रखा जावे ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने रिबटल में कथन किया कि पूर्व में जो दावा डिक्री हुआ था उसकी अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं थी । इस कारण न्यायालय मे इसके बाबत् कोई कथन नहीं किया जा सका । वादी का पूर्व दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ है । इस कारण सीपीसी के आदेश 09 नियम 09 के अनुसार नया दावा नहीं लाया जा सकता । पूर्व के दावे में कान्हा ने दोनों गॉवों में अपना 1/2 – 1/2 हिस्सा माना है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादीगण की ओर से नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दीं भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2024 से 2045 प्रदर्श–3, विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति दिनांक 08.07.99 प्रदर्श–5, विक्रय पत्र दिनांक 08.07.1999 प्रदर्श– 6, विकय पत्र दिनांक 04.05.2000 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–7, विक्रय पत्र दिनांक 27.07.99 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–8, विक्रय पत्र दिनांक 01.05.1982 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–9 पेश की गई हैं ।

14. प्रतिवादीगण की ओर से जो दस्तावेजात पेश किये हैं उनमें विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– ए–1, विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2000 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– ए–2, विक्रय पत्र दिनांक 08.09.1999 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–4, विक्रय पत्र दिनांक 08.07.99 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–5, विक्रय पत्र दिनांक 27.07.99 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– ए–6, नकल जमाबन्दी संवत् 29?073 से 2076 प्रदर्श ए–7, नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 प्रदर्श – ए–8, नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 2068 प्रदर्श– ए–9 पेश किये हैं ।

15. बयान हुकम चन्द पीडब्ल्यू–1, हीरालाल पीडब्ल्यू–2 की ओर से कराये गये हैं ।

16. प्रतिवादी की ओर से बयान मथुरा लाल, डीडब्ल्यू–1 चौथमल, डीडब्ल्यू–2 रमेश चन्द के शपथ पत्र संलग्न किये हैं परन्तु न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्रों की ताईद नहीं की है ।

17. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.05.2018 को कैम्प कोर्ट रंगपुर के तहत निर्णय पारित किया है । निर्णय आदेशिका पर पारित किया गया है और सीधे ही तनकीयात अंकित करते हुए निर्णय पारित किया गया है न तो दावे के तथ्य और न ही जवाबदावे के तथ्य, पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य का विवरण अंकित नहीं किया है और न ही तनकीयात में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की विवेचना की गई है । तनकीयात कौन से दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य से तय की गई हैं, स्पष्ट नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में सीपीसी की पालना नहीं की है ।

18. दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकरण में विचारणीय यह है कि अपीलान्ट ने अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ कुछ दस्तावेंज पेश किये हैं । यह दस्तावेजात कान्हा जो कि वादीगण के पिता है के द्वारा पूर्व में पेश किये गये दावे में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.1990 की प्रमाणित प्रति संलग्न है । यह दावा कान्हा के द्वारा बंटवारे के लिए किया गया था जिसको दिनांक 06.02. 1990 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा ने डिक्री कर विभाजन

की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई । प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में तहसील से बंटवारा रिपोर्ट भी प्राप्त की गई थी और इसके उपरान्त यह दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था । अधीनस्थ न्यायालय में न तो ये दस्तावेज पेश किये थे और न ही इन दस्तावेजों के आधार पर यह विनिश्चय किया जा सका कि पूर्व के निर्णय की रोशनी में कान्हा के वारिसों के द्वारा पेश किया गया नया दावा रेसजूडीकेटा से बाधित है अथवा नहीं ?

19. जहॉ तक अपीलान्ट के द्वारा पेश की गई अन्य अपील कों नॉट – प्रेस में खारिज करवाया जाना का प्रश्न है वो अपील अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा पेश किये गये अन्य दावे में पारित निर्णय के खिलाफ पेश की गई थी जो इसी वादग्रस्त आराजी के बाबत् थी जिसमें अपीलान्टगण ने विभाजन की प्रार्थना की थी और इस अपीलाधीन निर्णय में रेस्पोडेन्ट वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने के आधार पर अपीलान्टगण का वो दावा खारिज किया गया था जिसके खिलाफ पेश की गई अपील को अपीलान्टगण ने नॉट प्रेस में खारिज करवाया है । इस आधार पर अपीलान्टगण की हस्तगत अपील पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है । अपीलान्टगण के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि सन् 1990 में पारित प्रारम्भिक डिक्री की रोशनी में अपील नॉट प्रेस से खारिज करवायी गयी है ।

20. हम अपील में अपीलान्ट की ओर से जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनका विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त नये सिरे से सीपीसी की पालना में निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

21. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा अपील में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनके रिबटल में यदि रेस्पोडेन्ट वादी कोई दस्तावेजात पेश करना चाहे तो उन्हें पेश करने का अवसर प्रदान कर इन दस्तावेजात के आधार पर आवश्यक होने पर अतिरिक्त तनकी कायम कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

22. निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा